रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1055] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2013/वैशाख 20, 1935
No. 1055] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2013/VAISAKHA 20, 1935

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2013

का.आ. 1200(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1138 (अ) तारीख 11 नवम्बर, 2001 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, को एतद्द्वारा निरस्त करती है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IV के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में डिजाईन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) उपभोक्ता शुल्क आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग–6) के 88.000 कि.मी. से 239.000 कि.मी. तक छत्तीसगढ़/उड़ीसा सीमा से औरंग खण्ड को चार लेन का बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मेसर्स बीएससीपीएल औरंग टोलवे लिमिटेड, हैदराबाद (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही "संदर्भित" किया गया है) के बीच 25–01–2012 को एक करार कर लिया गया है ।

[फा. सं. भाराराप्रा/12-13/सीओ/जीसी-शक्ति नाला ब्रिज]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2013

S.O. 1200(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O. 1138(E), dated 19th November, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) as a Concession Agreement has been entered between National Highway Authority of India and M/s. BSCPL Aurang Tollway Ltd., Hyderabad (hereinafter referred to as the "Concessionaire") on 25-01-2012 for the Four laning of Chhattisgarh/ Odisha border to Aurang Section of National Highway No. 53 (old NH-6) from km. 88.000 to km. 239.000 in the State of Chhattisgarh under NHDP Phase-IV on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis.

[F. No. NHAI/12-13/CO/GC-Shakti Nalla Bridge]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.